सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीप्ज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीप्ज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

सत्यमेव जयते

SEEPZ-SEZ/ESTATE/NOMI/518/2016-17/01785 **Date: 21.01.2017**

CIRCULAR No. -23/2017

Sub: Invitation of application for Nomination as member of SEEPZ-SEZ Authority.

Sir,

SEEPZ-SEZ Authority is the governing body for development and maintenance of infrastructure in the SEEPZ Special Economic Zone. The Authority comprises of four ex-officio permanent members (including Chairperson) and 2 nominated members from Trade. The tenure of existing nominated members likely to be over by two months. Therefore, the Authority is being reconstituted with fresh nomination of two members from the units in SEEPZ-SEZ.

In case you are willing to be considered for nomination, please send your willingness before 16th February, 2017. It may kindly be noted that the nominated members would be required to attend meetings of the Authority as and when called. Normally meetings are held on quarterly basis. Before convening a meeting, a notice of 15 days is given.

Only Managing Director/Director (on Board of the company)/Managing Partner and Proprietor of the units would be eligible to be nominated. Delegation of the nomination is not permitted. The nominated member shall be deemed to have vacated the membership on occurrence of one or more of the following:-

(i) Resignation from the Special Economic Zone Authority
(ii) Death of the member
(iii) The unit represented by the member defaults in payment of dues to the Special Economic Zone Authority concerned
(iv) The member absents himself/herself in attending the proceedings of the Authority of three consecutive meetings

अध्यक्ष Chairperson 28290856 सचिव Secretary 28294770 प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770
फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754 ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

(v) If any criminal proceeding is initiated against the unit represented by such member either by the State or Central Government for violation of any law for time being in force

(vi) The unit represented by such member is sick, closed or has not been exporting for more than six consecutive months and

(vii) Letter of Approval issued to the unit represented by the entrepreneur is cancelled by the competent Authority for reasons of fraud, misrepresentation etc.

The details may be submitted in the prescribed format (annexure enclosed).

Willingness received after 16th February, 2017 will not be considered for nomination.

(V. P. Shukla)
Estate Manager /JDC,
SEEPZ-SEZ Authority

1	Name of the unit	
2	Name of the CEO/MD, to be appointed as the member of Authority	
3	Sector of the unit	
4	Date of establishment of the unit and date of validity of LOA of the unit	
5	Total Investment made	
6	Export made in the last three years	
7	Direct Employment generated by the unit	
8	Is there any case pending against the unit under FTDR or SEZ Act 2005	
9	Additional Information, if any	

सत्यमेव जयते

सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीप्ज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीप्ज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

सं.सीप्ज़-सेज़/संपदा/नोमी/518/2016-17/ **दिनांकः 21.01.2017**

परिपत्र संख्या 23/2017 | 01785

विषयः सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण के सदस्यों के नामन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में ।

सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र में आधारिक संचरना के विकास तथा अनुरक्षण का कार्य करने वाली शासी निकाय है । प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित चार पदेन स्थायी सदस्य तथा ट्रेड से दो नामित सदस्य होते हैं । वर्तमान नामित सदस्यों का कार्यकाल दो महीनों में समाप्त होने वाला है । अतएव, सीप्ज़-सेज़ में स्थित यूनिटों से दो सदस्यों के लिए नए नामन प्राप्त करके प्राधिकरण का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

यदि आप नामन के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हों, तो कृपया 26 फरवरी, 2017 से पूर्व अपनी सहमति भिजवा दें । कृपया यह ध्यान रखें कि नामित सदस्यों के लिए प्राधिकरण की बुलाई जानी वाली बैठकों में भाग लेना आवश्यक है । सामान्यतः तिमाही के आधार पर बैठकें आयोजित की जाती है । बैठक बुलाने के पूर्व 15 दिनों की सूचना दी जाती है ।

केवल प्रबंध निदेशक/निदेशक (कंपनी के ऑनबोर्ड) यूनिटों के मैनेजिंग पार्टनर तथा प्रोपराइटर ही नामन के पात्र होंगे । नामन के प्रत्यायोजन की अनुमति नहीं है । निम्नलिखित परिस्थितियों में नामित सदस्य के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने सदस्यता छोड़ दी हैः-

i) विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण से त्याग पत्र ।
ii) सदस्य की मृत्यु
iii) ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य जो संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र को देय का भुगतान न कर रहा हो ।
iv) ऐसा सदस्य जो प्राधिकरण की लगातार तीन बैठकों की कार्रवाई से स्वयं अनुपस्थित रहा हो ।

अध्यक्ष Chairperson 28290856 सचिव Secretary 28294770 प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770
फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754 ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

v) ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य जिसके विरूद्ध तद्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई हो ।

vi) ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य जो रूग्ण हो, बंद हो अथवा जो लगातार छह महीनों से अधिक निर्यात न कर रहा हो ।

vii) ऐसे यूनिट का प्रतिनिधित्व करने वाला उद्यमी जिसका जारी अनुमोदन पत्र कपट, अन्यथा प्रस्तुति आदि के कारण रद्द कर दिया गया हो ।

निर्धारित फॉर्मेट में विवरण प्रस्तुत किया जाए (फॉर्मेट संलग्न) ।

नामन के लिए 16 फरवरी, 2017 के बाद प्राप्त होने वाले सहमति पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त /
संपदा प्रबंधक,
सीप्ज़-सेज़ प्राधिकरण

1	यूनिट का नाम	
2	प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रबंध निदेशक का नाम	
3	यूनिट का क्षेत्र	
4	यूनिट की स्थापना की तारीख तथा यूनिट के अनुमोदन पत्र की वैधता की तारीख	
5	किया गया कुल निवेश	
6	पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया निर्यात	
7	यूनिट द्वारा सृजित प्रत्यक्ष रोज़गार	
8	क्या एफटीडीआर अथवा सेज़ अधिनियम, 2005 के तहत यूनिट के विरूद्ध कोई मामला लंबित है	
9	अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो तो	